न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 18/2018

सायर कंवर बनाम जितेन्द्र आदि

दावा बाबत घोषणार्थ , रिकॉर्ड दुरूस्ती व
निरस्त करवाने हक त्याग पत्र दिनांक 10.01.2018
प्रार्थना पत्र – अं.आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
व धारा 151 सी.पी.सी.

ऐडवोकेट वादी अप्रार्थी – श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत
ऐडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री विनोद सिंह शेखावत

:: आदेश ::

दिनांक 16.07.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वादपत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1849/706 रकबा 0.6000 है0 खसरा नम्बर 728 रकबा 1.9600 है0 का प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 संपूर्ण हिस्से का अकेला खातेदार काश्तकार है और भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 1.0300 है0 मे 5/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार से काबिज व आबाद है एवं उपयोग उपभोग करता है उक्त प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में वादी ने वाद पेश किया है। प्रार्थी रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.05.2002 के मुताबिक ढालसिंह पुत्र जयसिंह उर्फ जसवंत सिंह का दत्तक पुत्र है। जिसको वादिया ने आज तक कहीं चैलेज नही किया है इस कारण प्रार्थी निर्विवाद रूप से गोद का पुत्र साबित व प्रमाणित है। जिसके अनुसार प्रशनगत भूमि का राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी के नाम दर्ज हुआ है तथा प्रार्थी की दत्तक माता छगन कंवर का स्वर्गवास हो गया है और वादीया ने प्रश्नगत कृषि भूमि में दर्ज अपना संपूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 10.01.2018 के द्वारा के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में हकत्याग कर दिया है जिसमें भी वादीया ने प्रार्थी को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है तथा वादीया शादीशुदा होने से ससुराल रहती है जिसका प्रश्नगत भूमि पर ना तो कब्जा काश्त है और ना ही खातेदार काश्तकार दर्ज है और ना ही वादीया ने प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामे का निरस्त करवाया है इसलिए उक्त तथ्यों के अभाव में वादीया का वाद पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारिज होने योग्य है। वादीया ने प्रशनगत कृषि भूमि के संबंध में अपनी खातेदारी घोषित करवाने एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को निरस्त करवाने बाबत रिलीफ चाही है जबकि प्रशनगत कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है राजस्व रिकॉर्ड भी प्रार्थी के विरूद्व बेदखली की रिलीफ नही चाही है जिसके अभाव में वादीया का वाद पत्र चलने योग्य नही है तथा वादीया ने प्रार्थी के पक्ष मे पंजिबद्व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र धोखे से गैरकानूनी ढंग करवाया जाना बताकर निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि इस प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने व अनुतोष प्रदान करने का वाद पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है जिसको सुनने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद का वाद पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जाना न्यायसंगत है। वादीया को उक्त वाद पत्र के लिए कब कैसे वादाधिकार पैदा हुआ है इसके बारे में वादीया ने वादपत्र में कोई तथ्य दर्ज नही किये है तथा वाद पत्र के अभिवचन से वादिया को वादाधिकार कभी पैदा ही नही हुआ है। इसलिए वादाधिकार के अभाव में वाद पत्र खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद पत्र ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज किया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का यह कथन गलत है कि वाद पत्र की विवादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 1849/706, 728, 704 के 5/6 हिस्से का प्रतिवादी नं0 1 जितेन्द्र सिंह अकेला खातेदार काश्तकार है बल्कि सही यह है कि उक्त भूमिया वादीया सायर कंवर व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थी ने जिस गोदनामा का वर्णन किया है उसकी जानकारी जबाबदेहन्दा को नही है तथा उक्त गोदनामा के आधार पर प्रार्थी ने वर्णित भूमि में अपना नाम दर्ज करवाया है क्योंकि वादीया स्व0 ढाल सिंह की जायंदा एकमात्र पुत्री है व उनको दत्तक पुत्र की कोई आवश्यकता नही थी व उक्त दस्तावेज कहीं तस्दीक हुआ है तो धोके में रखकर बनाया गया है उक्त दस्तावेज की जानकारी जबाबदेहन्दा को नही है उसकी माताजी छगन कंवर को मृत्युपर्यन्त तक भी यदि ऐसे किसी दस्तावेज की जानकारी होती तो छगन कंवर अपने दत्तक पुत्र के पास

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

ही निवास करती वह दत्तक माता को रखने की जिम्मेवारी निभाता बल्कि सही यह है कि छगन कंवर की मृत्यु जबाबदेहन्दा के घर पर हुई व उसकी मृत्यु के बाद ही वादीया को रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का बहाना बनाकर जितेन्द्र सिंह नवलगढ़ तहसील लाया व धोखे से हक त्याग पत्र को जमीन हड़पने की नियत से तस्दीक करवाया जिसकी जानकारी होते ही वादीया अपने हक हकूकों की रक्षा करने बाबत श्रीमान के न्यायालय में घोषणा करवाने बाबत वाद लेकर अंदर मियाद आई है जो की घोषणा का अधिकार इसी न्यायालय को है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गैर कानूनी है व वादीया का वाद विधि सम्मत है इसलिए ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे। वादीया को अपने वाद में वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करवाने की रिलिफ चाही है कि माता छगन कंवर का देहान्त हो चुका है व ढाल सिंह व छगन कंवर की वादीया ही एकमात्र वारिस है व वर्णित भूमि है आज भी वादीया का ही कब्जा है व काश्त करवाती है तथा जब कब्जा ही स्वयं का है तो प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में यह कहना कि बेदखली की रिलीफ नही चाही गई निराधार है इसिलए प्रस्तुत वाद गैरकानूनी न होकर विधि सम्मत है। दावे में हकत्याग पत्र को गैरकानूनी बताकर निरस्त करवाने की रिलिफ चाही है वह सही चाही गई है क्योंकि रेवेन्यू के कानूनी प्रावधानों में हक त्याग जैसा कानूनी प्रावधन है ही नही तो ऐसा दस्तावेज तो स्वतः शुन्य है व ऐसे दस्तावेजात के आधार पर कोई हक अधिकार प्रार्थी जितेन्द्र सिंह को पैदा नही होते है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरामाया जावे। वादीया को जब अपनी पैत्रिक मीन के संबंध में गलत दस्तावेज की जानकारी हुई तो कानूनी रूप से भूमि की रक्षार्थ वादाधिकार पैदा हुआ जो कानूनी रूप से न्यायसंगत है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। उक्त वाद घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का पेश किया है जिसका क्षैत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को है। आर्डर 7 नियम 11 के प्रावधान में जहां वाद कारण पैदा नही हुआ हो पहला प्रावधान है जबकि प्रस्तुत वाद में वादीया को वादकारण युक्तियुक्त आधार पर पैदा हुआ है दूसरा वाद उचित कोर्ट फीस पर पेश किया गया है इसलिए दूसरा प्रावधान भी उक्त प्रार्थना पत्र का कोई आधार नही है तीसरा जहां दावा कृत अनुतोष मूल्यांकन ठीक नही है किन्तु वाद पत्र पर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो जबकि प्रस्तुत वाद उचित मूल्यांकन पर पेश है इसलिए उक्त प्रावधान भी प्रस्तुत दावे पर लागू नही होते है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार प्रार्थी रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.05.2002 के मुताबिक ढालसिंह पुत्र जयसिंह उर्फ जसवंत सिंह का दत्तक पुत्र है। जिसको वादिया ने आज तक कहीं चैलेज नही किया है इस कारण प्रार्थी निर्विवाद रूप से गोद का पुत्र साबित व प्रमाणित है। वादीया ने प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में अपनी खातेदारी घोषित करवाने एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र को निरस्त करवाने बाबत रिलीफ चाही है जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है राजस्व रिकॉर्ड भी प्रार्थी के विरूद्व बेदखली की रिलीफ नही चाही है जिसके अभाव में वादीया का वाद पत्र चलने योग्य नही है तथा वादीया ने प्रार्थी के पक्ष मे पंजिबद्व रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र धोखे से गैरकानूनी ढंग करवाया जाना बताकर निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है जबकि इस प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेजात को निरस्त करने व अनुतोष प्रदान करने का वाद पत्र सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है जिसको सुनने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए क्षैत्राधिकार के अभाव में वाद को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावे। जबाब बहस में वकील वादी ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा तस्दीक करवाये गये गोदनामा के आधार पर वर्णित भूमि में अपना नाम दर्ज करवाया है। वादीया स्व0 ढाल सिंह की जायंदा एकमात्र पुत्री है व उनको दत्तक पुत्र की कोई आवश्यकता नही थी व उक्त दस्तावेज कहीं तस्दीक हुआ है तो धोके में रखकर बनाया गया है उक्त दस्तावेज की जानकारी जबाबदेहन्दा को नही है। वादिया की माता छगन कंवर की मृत्यु के बाद वादीया को धोखे से हक त्याग पत्र को जमीन हड़पने की नियत से तस्दीक करवाया जिसकी जानकारी होते ही वादीया अपने हक हकूकों की रक्षा करने बाबत श्रीमान के न्यायालय में घोषणा करवाने बाबत वाद लेकर अंदर मियाद आई है जो की घोषणा का अधिकार इसी न्यायालय को है। दावे में हकत्याग पत्र को गैरकानूनी बताकर निरस्त करवाने की रिलिफ चाही है क्योंकि रेवेन्यू के कानूनी प्रावधानों में हक त्याग जैसा कानूनी प्रावधान है ही नही तो ऐसा दस्तावेज तो स्वतः शुन्य है व ऐसे दस्तावेजात के आधार पर कोई हक अधिकार प्रार्थी जितेन्द्र सिंह को पैदा नही होते है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ

पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा वाद पत्र पेश कर मुख्य अनुतोष चाहा है कि खसरा नम्बर 728, 704, 1849/706 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा तथा उसकी माता के नाम दर्ज हिस्सा दोनो की खातेदारी उसके नाम की जावे जबकि वादिया ने अपने समस्त भूमि दिनांक 10.01.2018 को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को अपना हिस्सा नामांतरण संख्या 31 दिनांक 5.03.2010 से मिला है जो नामांतरण रजिस्टर्ड गोदनामा 13.05.2002 के आधार पर भरा गया है। अतः वादिया का अनुतोष उक्त दोनो रजिस्टर्ड दस्तावेजों हकत्याग पत्र व गोदनामा को निरस्त कराये बिना नही दिया जा सकता है। वादिया ने अपने अनुतोष संख्या 15 में रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 10.01.2018 को निरस्त कराने का अनुतोष भी चाहा है। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेजों की वैधता का निर्धारण माननीय सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः दावा क्षैत्राधिकार के बाहर होने के कारण आदेश 07 नियम 11 के अनुसार बार्ड बाई लॉ है। फलस्वरूप प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पेश अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर मौजुदा वाद वादी क्षैत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/07/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़